बेमानी ज़िंदगियाँ

: एक औद्योगिक दुर्घटना और उसके बाद के घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (दिल्ली)
अगस्त 2011

प्रस्तावना

25 जनवरी 2011 को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में स्थित एक फैक्टरी में आग लगने से 13 मज़दूरों की मौत हो गई और 5-6 मज़दूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आज लगभग 7 महीनों बाद तक भी मज़दूरों के परिवारों को मुआवज़ा दिए जाने या इन मज़दूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ है।

दिल्ली शहर की जनसंख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर है। इतनी बड़ी आबादी वाले इस शहर में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों से आने वाले बेरोजगार लोगों का है। ये लोग मुख्यत: काम व दो वक्त की रोटी की तलाश में अपने गावों व घरों से दिल्ली और अन्य शहरों की ओर पलायन करते हैं। इन लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि इन्हें मजबूरन फैक्टरियों में या निर्माण कार्यों में ठेका मज़दूरों के रूप में काम करना पड़ता है। यह मज़दूरों के श्रम की एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ मज़दूर श्रम तो पूरा करता है, परन्तु उसे मेहनताना अधूरा मिलता है। सैद्धान्तिक तौर पर हमारे देश में श्रम कानून हैं जो कि मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी, काम के निश्चित घण्टे तथा सप्ताह में एक दिन का अवकाश सुनिश्चित करते हैं परन्तु व्यवहारिक दृष्टि में ठेकेदार मनमाने ढंग से मज़दूरी, काम के घण्टे, आदि तय करते हैं, जिनका श्रम कानूनों से कोई लेना देना नहीं होता। फैक्टरी मालिक मज़दूरों को उन सभी कानूनी अधिकारों से वंचित रखते हैं, जो कानूनन उन्हें मिलने चाहिए।

इन के अतिरिक्त सरकारी संस्थाऐं जिनका यह दायित्व है कि वे कानूनों का सख्ती से पालन कराएं, अधिकतर फैक्टरी मालिकों के हितों की पूर्ति करने वाली संस्थाएं बन कर रह गई हैं। मज़दूर बाज़ार के इन हालातों को हमें भारतीय राज्य के उस पूजीवाँदी स्वरूप के सन्दर्भ

समझने की ज़रूरत है जहाँ कानून पूंजीपतियों के हितों को पूरा करने के लिए बनाए जा रहें हैं और मज़दूरों की स्थिति और दयनीय होती जा रही है।

तुगलकाबाद की फैक्टरी में हुई दुर्घटना को भी इसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से पी.यू.डी.आर. के एक जांच दल ने इस घटना की जांच की। हम दुर्घटना में मारे गए और घायल हुए मज़दूरों के परिवारों, श्रम विभाग के अधिकारियों और पुलिस से मिले और हमने घटना स्थल का भी दौरा किया। जैसा कि हमने पहले की ऐसी कई घटनाओं में पाया है (ओखला 1999 और विश्वास नगर 2006) इस घटना के संबंध में भी हमें सभी तरह के नियमों और कानूनों के उल्लंघन और फैक्टरी के मालिक और श्रम विभाग की पूरी लापरवाही और कोताही ही देखने को मिली। यह फैक्टरी गैर कानूनी थी जो कि एक नॉन कनफर्मिंग क्षेत्र में बनी हुई थी। फैक्टरी मालिक सभी कानूनो का उल्लंघन कर फैक्टरी चलता रहा जिसके परिणामस्वरूप इतने मज़दूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

यह छोटी रिपोर्ट उस सर्वव्याप्त गैरबराबरी के संबंध में है जो करोड़ों वंचित मज़दूरों की ज़िंदगियों (और मौत) को नियंत्रित करती है। साथ ही यह रिपोर्ट वैश्वीकरण के इस दौर में अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूर बाज़ार के अन्यायी ढांचे के संबंध में है।

दुर्घटना और मज़दूरों के हालात

25 जनवरी 2011 की शाम करीब 5.30 बजे तुगलकाबाद विस्तार के गली नं. 8 आर ज़ैड, एच. नम्बर 58 ए में आग लगने से कुछ मज़दूरों के जल कर मरने और कुछ अन्य के घायल हो जाने की ख़बर अख़बार में आई। अखबारों में यह भी छपा था कि घटना में घायल लोगों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा मृतकों के शवों को

पोर्स्टमाटम एवं शिनाख्त के पश्चात उनके परिवारों को सौंप दिया गया। पीयूडीआर के जांच दल को अपनी जांच द्वारा पता चला कि यह आग एक पाँच मंजिला इमारत की पांचवी मंजिल में लगी थी। इस इमारत में 'अमेज़िंग क्रिएशन' नाम की एक फैक्टरी चल रही थी। इस फैक्टरी में निर्यात के लिए रेडीमेड कपड़ों के निर्माण यानी कटाई, सिलाई और धुलाई का काम होता था। लगभग 200 मज़दूर पाँच मंजिला इमारत में स्थित फैक्टरी में काम करते थे। रिहायशी इलाके के बीच में इतनी बड़ी फैक्टरी कैसे बिना किसी रोकटोक के चलती थी यह एक बड़ा सवाल है। यह घटना कभी न होती अगर श्रम विभाग, फैक्टरी के मालिक और पुलिस ने कानून का पालन किया होता।

घटना के संबंध में दर्ज़ एफआईआर में आईपीसी की धारा 287 (मशीनों के संबंध में लापरवाही), 337 (किसी को आहत करने की ऐसी कार्यवाही जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ें या उनके लिए खतरा पैदा हो), 338 (किसी को गंभीर रूप से आहत करने की ऐसी कार्यवाही जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ें या उनके लिए खतरा पैदा हो) और 304ए (लापरवाही से मौत) लगाई गई है।

अखबारों तथा एफआईआर के अनुसार फैक्टरी में आग बॉयलर फटने से लगी थी। परन्तु घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने पीयूडीआर के जांच दल को बताया कि घटना के दिन उन्होंने किसी भी प्रकार के धमाके की आवाज़ नहीं सुनी थी। परन्तु इस घटना में इमारत कि छत गिर गई थी जिससे ऐसा तो लगता है कि फैक्टरी में बलास्ट हुआ होगा। घटना के बाद पुलिस ने फैक्टरी को सील कर दिया और दरवाज़े पर एक सूचना-पत्र चिपका दिया, जिसमें मृतकों तथा घायलों के नाम एवं पते लिखे हुए थे। साथ ही *वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923* के तहत इस घटना में मारे गए मज़दूरों के परिवारों को पांच लाख तथा घायलों को पचास हज़ार की धनराशि देने की बात कही गई थी। हमने

पीरागढ़ी की फैक्टरी में आग में 10 मज़दूरों की मौत

पीरागढ़ी के पास उद्योग विहार इलाके में 27 अप्रैल 2011 को एक जूता फैक्टरी में लगी आग में 10 मज़दूरों की जान चली गई। जनवरी से अप्रैल के तीन महीने के अतंराल में दिल्ली में किसी फैक्टरी में आग लगने की यह दूसरी घटना है। इस फैक्टरी में जूते-चप्पलों की कटाई एवं छटाई का काम किया जाता था। फैक्टरी के आस-पास काम कर रहे मज़दूरों से बातचीत तथा अखबार में छपी रिर्पोट से यह पता चलता है कि फैक्टरी के सभी दरवाज़े बंद थे। फैक्टरी मालिक नरेंद्र सिंघल को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं मिला था, इसके बावजूद यह फैक्टरी चल रही थी। जूतों के निर्माण में चिपकाने के लिए अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है, इसके बावजूद फैक्टरी में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूर्ण रूप से औद्योगिक इलाके में बिना एनओसी के फैक्टरी चल कैसे रही थी, यह एक गंभीर सवाल है। क्या श्रम विभाग और प्रशासन को मज़दूरों की जान कि बिल्कुल चिंता नहीं है। पुलिस द्वारा दर्ज़ एफआईआर में इस घटना को महज लापरवाही माना गया है और इसलिए इसमें आईपीसी के केवल सेक्शन 287, 336 को शामिल किया गया है।

ठेकेदार के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की पर वह लगातार बंद मिला।

नोटिस से हमें पता चला कि बहुत से मज़दूर फैक्टरी से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर तुगलकाबाद गाँव तथा उसके आसपास बनी स्लम बस्तियों बंगाली कलोनी तथा चुड़ीया मौहल्ला में रहते थे। हम हादसे में मारी गई एक महिला मज़दूर सुमन देवी के घर गए जो कि

मूलत: बिहार के मुंगेर जिले के ताजपुर गांव की निवासी थीं। इनके पति (फनटुस) गाँव गये हुए थे। उनकी जिठानी और वहाँ इकट्ठा हुई अन्य महिलाओं ने हमें बताया कि सुमन देवी पिछले ढाई महीनों से फैक्टरी में काम कर रही थीं, इनकी शादी को पांच साल हुये थे और उनके पति पी.ओ.पी. का काम करते हैं। सुमन देवी फैक्टरी में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करती थीं। बीच में 1 बजे आधा घंटे का लंच का समय होता था तथा शाम को 15 मिनट चाय पीने का समय मिलता था। दिन में 12 घंटे काम करने के लिए उन्हें 140 रू. मज़दूरी मिलती थी।

हम फैक्टरी के सबसे निचली मंज़िल पर काम करने वाली माधुरी से मिले जो उस दिन की घटना में बालबाल बचीं थीं। उन्होंने बताया कि फैक्टरी की हर मंज़िल पर तकरीबन 22-25 आदमी काम करते थे। घटना वाले दिन फैक्टरी की पाँचवीं मज़िल पर कपड़ों की धुलाई तथा ज़री का काम हो रहा था कि अचानक सबसे निचली मंज़िल पर काम कर रहे सभी मज़दूर भागने लगे। इस भगदड़ में माधुरी को सिर पर और हाथ पर कुछ चोटें आईं, पर वे भाग निकलने में कामायाब हो गईं। माधुरी के अनुसार बहुत सारे मज़दूर जो फैक्टरी के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे थे, बाहर नहीं निकल पाए और आग में जल गए। माधुरी ने बताया कि उन्हें फैक्टरी में किसी प्रकार का पहचान-पत्र नहीं दिया गया था। हर महीने की 10 तारीख तक उन्हें पैसे मिलते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जनवरी के काम के पैसे नहीं मिले थे।

हम घटना में घायल एक अन्य मज़दूर रिज़वान के घर उनके भाई तथा पिता जी से मिले। रिज़वान की उम्र 20 साल की है। वे इस फैक्टरी में तीन महीने से काम कर रहे थे रिज़वान के शरीर का लगभग हर हिस्सा जला हुआ था। उनसे बात करने पर पता चला कि जिस समय यह घटना हुई उस समय कपड़ों की धुलाई हो रही थी। इसके लिए पानी में एक पाउडर डाला गया, जिससे वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को

चक्कर आने लगा। उनके अनुसार वे भी बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तब वे बुरी तरह जली हुई हालत में पड़े हुए थे। रिज़वान भी 9 बजे सुबह से रात के 9 बजे तक काम करते थे, इसके लिए उन्हें 220 रू. मिलते थे और रात में ओवर टाईम करने पर एक घंटे के 20 रू. मिलते थे। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में आग बुझाने की कोई भी व्यवस्था नही थी। रिज़वान के पिता को फैक्टरी के दरवाज़े पर चिपकाए गए नोटिस के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि रिज़वान की पट्टी करवाने में हर बार 400-500 रूपये खर्च होते हैं। उसी अस्पताल (यानी सफदरजंग) का कंपाउंडर उनकी पट्टी करता है जहाँ उनका इलाज हुआ था। रिज़वान के पिता के अनुसार फैक्टरी का मालिक मुन्ना और उसका दोस्त टोनी (बॉबी) अस्पताल में आकर आहत मज़दूरों के परिवारों से कहता था कि वे पुलिस को कुछ न बताएं। उसने इन्हें 2000 से लेकर 3000 रू. भी दिए थे। जब फैक्टरी सील हो गई तो मुन्ना ने इन लोगों को और पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि इन लोगों के पुलिस से बात करने के कारण ही फैक्टरी बंद हुई है। शायद यही कारण है कि माधुरी को भी अपनी जनवरी की मज़दूरी नहीं मिली है।

इसके बाद पीयूडीआर का दल जामिल से मिला जिनका 18 साल का बेटा निजामुद्दीन इस घटना में मारा गया था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा इस फैक्टरी में 3-4 महीने से काम कर रहा था।

श्रम विभाग एवं प्रशासन की भूमिका

1948 के फैक्टरी एक्ट के सेक्शन 7(ए) के तहत फैक्टरी में काम करने वाले मज़दूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं कल्याण की सीध ी ज़िम्मेदारी फैक्टरी मालिक की होती है। इसके अलावा यदि किसी इलाके में गैर-कानूनी रूप से फैक्टरी चल रही है, तो स्थानीय पुलिस का यह दायित्व बनता है कि इसके बारे में उचित संज्ञान लेकर इसकी

शिकायत श्रम-विभाग को करे। फैक्टरी एक्ट के सेक्शन 9 के तहत फैक्टरी इंस्पेक्टर की यह ज़िम्मेदारी है कि वह फैक्टरी एवं उपस्थित मशीनरी की जांच कर के यह तय करे कि फैक्टरी में किसी प्रकार के खतरनाक रसायनों आदि का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था के बावजूद यदि ऐसी दुर्घटना घटती है तो इसके लिए श्रम विभाग और पुलिस ज़िम्मेदार है। और यह केवल साधारण लापरवाही का मामला नहीं बल्कि यह एक आपराधिक मामला है जिसके लिए इसके दोषियों पर सख़्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

पीयूडीआर की टीम ने साउथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में सम्बन्धित लेबर इंस्पैक्टर से मिलने की कोशिश की, पर वे अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। एक अन्य श्रम अधिकारी ने माना कि फैक्टरी नॉन कनफर्मिंग क्षेत्र में बनी हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब श्रम विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि पुलिस ने फैक्टरी सील कर दी थी। अतः श्रम विभाग ने मृत और घायल लोगों के नाम एवं पतों के साथ *वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923* के अनुसार अंतिरिम मुआवज़े के संबंध में एक नोटिस वहाँ चिपका दिया था। श्रम विभाग ने नोटिस चिपका कर यह मान लिया कि उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है, उसने यह पता करने की कोशिश भी नहीं की कि मज़दूरों को इस नोटिस का पता भी है या नहीं।

पीयूडीआर की टीम के यह पूछने पर कि फैक्टरी एक्ट के तहत लेबर इस्पेक्टर का यह दायित्व है कि वह अपने इलाके में चलने वाली सभी फैक्टरियों का निरीक्षण करें, श्रम अधिकारी ने बताया कि मज़दूरों के शिकायत के बिना श्रम विभाग कुछ नहीं कर सकता। 5-6 साल पहले मुख्य श्रम अधिकारी के विभाग से एक सूचना पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि लेबर इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की दृष्टि से लेबर इस्पेक्टर द्वारा क्षेत्र निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है।

तुगलकाबाद में मारे गए और घायल हुए श्रमिकों के नाम और पते

क्रम	नाम	पिता या पति का नाम	उम्र	मारे गए या घायल	पता
1	शब्बो	पुत्री हामिद	18	मारी गईं	हाउस नम्बर ए –74/13 चौरिया मौहल्ला, बंगाली कॉलानी तुगलकाबाद गांव दिल्ली
2	सुमन देवी	पत्नि फंटूश	20	मारी गईं	गली नम्बर 17 चौरिया मौहल्ला, तुगलकाबाद गांव दिल्ली
3	अनीता	पत्नि अजय कुमार	20	मारी गईं	एफ– 302 दक्षिण पुरी नई दिल्ली
4	हसन	पुत्र सलीम	22	मारे गए	गांव बड़ा विक्रम, पुलिस स्टेशन जहानाबाद, जिला पीलीभीत उ.प्र.
5	आलम	पुत्र खलील अहमद	27	मारे गए	गांव कलवाहा नई दिल्ली
6	गौरी शंकर	पुत्र जोगिन्दर प्रसाद	35	मारे गए	गांव मजाहियां सीतापुर उ.प्र.
7	आमीर	पुत्र तस्कीम	19	मारे गए	ई 12/66 बी हौज़ रानी मालवीय नगर नई दिल्ली
8	मुखतियार	पुत्र सादिक	22	मारे गए	गांव बारामिल, पोस्ट ऑफिस जहानाबाद, जिला पीलीभीत उ.प्र.
9	मो.निज़ामुद्दी.न	पुत्र जमील एफआईआर में मुन्ना	18	मारे गए	हरपाल सिंह का मकान गली न. 15, तुगलकाबाद गांव दिल्ली
10	ललिता देवी	पत्नि राम लखन	35	मारी गईं	गली न. 5 चौरिया मौहल्ला, तुगलकाबाद गांव
11	अतुल	पुत्र बिहारी लाल	17	मारे गए	गांव बड़ा विक्रम पुलिस स्टेशन जहानाबाद, जिला पीलीभीत उ.प्र.
12	रहीस	मो. इदरिस	18	मारे गए	दापनपुरी सीतापुर उ.प्र.
13	रिज़वान	पुत्र नन्हे लाल	22	घायल	गांव बड़ा विक्रम पुलिस स्टेशन जहानाबाद, जिला पीलीभीत उ.प्र. या सीबी – 222 रिंग रोड नारायणा दिल्ली
14	रिज़वान	पिता कालू	20	घायल	तुगलकाबाद गांव
15	स्मृति	पुत्री दौलत राम	21	घायल	महिपाल पुर दिल्ली
16	बसंती/बै. जंती	पत्नि दुलाल	40	घायल	गली नं. 6 चौरिया मौहल्ला, तुगलकाबाद गांव, दिल्ली
17	तसलीम	पुत्र साबिर	16	घायल	गांव घंगोशा
18	मुक्तसीद एहमद	पुत्र वली एहमद	18	घायल	155, गांव बहैरिया, पूर्निया वाली मंस्ज़िद, पीलीभीत उ.प्र.
19	मो. शमीम	पुत्र मुन्ना मास्टर	27	पहले घायल हुए फिर मारे गए	ई – 12/61 हौज़रानी, मालविया नगर दिल्ली

मुआवज़े के सन्दर्भ में श्रम अधिकारी का कहना था कि फैक्टरी मालिक को एक नोटिस भेजा जा चुका है और दूसरा जल्दी ही भेजा जाएगा। यदि इसका जवाब नहीं आया तब विभाग कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा। साथ ही, श्रम अधिकारी ने मज़दूरों के लिए बनने वाले श्रम कानूनों की कमियाँ गिनाते हुये कहा की हमें इन श्रम कानूनों में अभूतपूर्व बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि वर्तमान कानून मज़दूरों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हैं। श्रम विभाग के अधिकारी से बातचीत से स्पष्ट है श्रम विभाग अपनी तरफ से इलाके में गैर-कानूनी रूप से चल रही फैक्टरियों के खिलाफ कानूनी कारवाई तो दूर यह जांच व निरीक्षण करने की कोशिश भी नहीं करता। ज़ाहिर है कि 5-6 साल का उपरोक्त नोटिस फैक्टरी एक्ट के खिलाफ जाता है, फिर भी विभाग ने ऐसा एक नोटिस निकाल कर गैरकानूनी ढंग से चलने वाली फैक्टरियों पर विभाग के नियंत्रण या अन्य फैक्टरियों में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर श्रम विभाग द्वारा रोक लगाने की किसी भी संभावना को खतम कर दिया। ऐसे में इन अधिकारी द्वारा कानूनों के लचीले या संवेदनाहीन होने की दुहाई देना काफी हास्यासपद है। और साथ ही यह व्यवहार श्रम विभाग, पुलिस तथा फैक्टरी मालिक के बीच आपसी सांठ-गांठ का परिचायक है।

दूसरी तरफ पुलिस ने घटना के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता के सेक्शन 287, 337, 338 और 304ए तहत एफआईआर दाखिल की, जो कि इस घटना को महज लापरवाही से हुई दुर्घटना बताते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए की यह दुर्घटना महज एक लापरवाही से हुआ हादसा तो क्या इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था। इस हादसे को रोका जा सकता था यदि श्रम विभाग, पुलिस तथा फैक्टरी मालिक अपने कानूनों, दायित्वों का ईमानदारी से पालन करते। घटना के बाद भी पुलिस की लापरवाही जारी है और इस तरह से इस मामले में एफआईआर दाखिल होने से लेकर आज तक पुलिस द्वारा एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई है।

निष्कर्ष

देश में कई श्रम कानून हैं जो कि श्रमिकों को कई तरह के अधिकार दिलाते हैं जैसे समान वेतन कानून, फैक्टरी एक्ट, वर्कमैनस कम्पनसेशन एक्ट, कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट । लेकिन श्रम कानूनों को लागू किया जाना असल चुनौती है। राज्य की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित हों तथा उन्हें शोषणयुक्त एवं अमानवीय तरीकों से काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में अनियमितता तथा प्रशासन एवं ठेकेदारों द्वारा श्रमिक अधिकारों का हनन भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र के साथ-साथ विधि के शासन के संबंध में कई प्रश्न खड़े करता है। भारत में बहुत से श्रम-कानून मुख्यतः केवल प्रबंधन से नियोक्ता के सम्बन्धों तथा ठेका रोजगार को संचालित करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं और दूसरी ओर सामान्यतः मज़दूरों को अधिकार दिलाने वाले श्रम-कानून आलोचना के पात्र बनते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि इन कानूनों के प्रावधान काफी जटिल हैं, इन्हें लागू करने में बहुत ज़्यादा समय और खर्चा लगता है। सरकार *'असंगठित मज़दूर सामाजिक सुरक्षा कानून 2008'* संसद में पारित करके असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में एक और कानून लाई है। पर ऐसी कोई व्यवस्था या मशीनरी विकसित नहीं की गई है जिससे श्रम कानूनों का क्रियान्वन संभव हो। दूसरी ओर राज्य की संस्थाओं द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघनों को लेकर कोई कार्यवाही न करने से निजी स्वार्थों के साथ उसकी सांठ-गांठ उजागर होती है। इस तरह से राज्य, संविधान के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों तथा कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।

इस रिर्पोट में यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की घटनाएं महज केवल फैक्टरी मालिक की लापरवाही से नहीं बल्कि

सरकारी संस्थाओं की गैरज़िम्मेदारी का परिणाम हैं जिन्होंने श्रम कानूनों को ताक पर रख दिया है। फैक्टरी में आग लगने ही की घटनाएं बार-बार होती हैं तथा उनके कारण लगभग एक जैसे होते हैं, इसके बावजूद सरकार इस समस्या पर गंभीरता से कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। क्या यह श्रम विभाग और पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वे सुनिश्चित करें कि गैर औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की गैर कानूनी फैक्टरियाँ न चलें। असल में राज्य के संस्थान जैसे श्रम विभाग हालात को सुधाारने की जगह यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर मज़दूरों को फैक्टरियों में दयनीय एवं अमानवीय स्थितियों में काम करने के लिए छोड़ दिया है और श्रम कानूनों का सरासर उल्लंघन करने के लिए इन फैक्टरियों के मालिकों को पूरी छूट मिली हुई है।

साथ ही फैक्टरी मालिकों का रवैया भी कम खतरनाक नहीं है। फैक्टरी ऐक्ट 1948 के सैक्शन 7 के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई और कल्याण की ज़िम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता यानी की फैक्टरी के मालिक की होती है। परन्तु श्रम बाज़ार पर ठेकेदारों के पूर्ण नियंत्रण ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि फैक्टरी के मालिक श्रमिकों के प्रति अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझते और इस कानून की लगातार अवहेलना करते हैं। दूसरी तरफ ठेकेदारी व्यवस्था में श्रमिकों के लिए अपनी यूनियन बना पाना भी और अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो कर संघर्ष कर पाना भी संभव नहीं होता। बड़ी फैक्टरियों में यूनियन बना पाने की कोशिशें अंतत: प्रबंधन द्वारा पुलिस की मदद से कुचल दी जाती हैं।

हमारे समाज में श्रमिकों को इंसानों का दर्ज़ा नहीं दिया जाता, उन्हें केवल शरीरों के रूप में देखा जाता है जो मशीनें चलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इतने गरीब हैं कि उनका असर मार्केट की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता और इसलिए क्योंकि कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकने की हालत में नहीं हैं। उदाहरण के लिए तुगलकाबाद में श्रमिकों को रोज़ाना 12 घंटे काम करना पड़ता था, जिसमें उन्हें एक घंटे का अवकाश मिलता था। महिला मज़दूरों को पुरुषों से भी कहीं कम मज़दूरी मिलती थी। श्रम कानूनों का ऐसा उल्लंघन देश की राजधानी में स्थित लगभग हर फैक्टरी में ठीक इसी तरह से होता है।

मज़दूरों को कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला हुआ था यानी उनके पास उस फैक्टरी में काम करने का कोई सबूत नहीं था। ऐसे में तो यह मानना भी मुश्किल है कि मारे गए और घायल लोगों की जो सूची श्रम विभाग ने लगाई है वह सही है, क्योंकि यह पता कर पाना भी संभव नहीं है असल में कितने श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे।

सवाल यह है कि तुगलकाबाद की इस फैक्टरी में हुई 13 मौतें और पीरागढ़ी में हुई 10 मौतें इस शहर, समाज, राज्य और कानून के लिए इस कदर बेमानी क्यों हैं?

पी.यू.डी.आर मांग करता है कि

1 इस घटना की पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हो।

2 मृत मज़दूर के परिवार वालों को तुरंत उचित मुआवज़ा दिया जाए।

3 घायलों को उनका उचित मुआवज़ा तथा और इलाज का खर्चा दिया जाए।

4 फैक्टरी मालिक पर आपराधिक मामला चलाया जाए।

5 श्रम विभाग तथा पुलिस की जवाबदेही तय की जाए।

प्रकाशक : सचिव, पीपल्स यूनियन फ़ॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.)
पता: डॉ. मौशमी बासु, ए – 6/1, अदिति अपार्टमेंट्स, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058
ई मेल : pudrdelhi@yahoo.com
वेबसाइट : www.pudr.org